कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक/रसायनशाला/मुख्या./110 ग्वालियर, दिनांक 12.7.96

प्रति,

1—समस्त उपायुक्त(आबकारी)-म0प्र0.
2—समस्त जिला आबकारी अधिकारी-म0प्र0.
3—प्रभारी अधिकारी (डिस्टलरी/आसवनी/बॉटलिंग इकाई-

मध्य प्रदेश

विषय:— विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाईयों में निर्मित विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ।

—==::0::==—

विनिर्माण इकाई (मैन्युफैक्चरी) अथवा बोतल भराई इकाई (बॉटलरी) में विनिर्मित विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका नियमानुसार नियमित रूप से रासायनिक परीक्षण कराया जाये । इस संबंध में मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं ।

2— मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम-6 के उपनियम(3) के अनुसार विदेशी मदिरा विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त परिसर के भीतर अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा, जो उपकरणों से सुसज्जित होगी, जिसमें अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्ति होंगे तथा इस प्रयोगशाला में बोतल भराई के पूर्व बोतल भराई के लिए तैयार विदेशी मदिरा की प्रत्येक खेप (बैच) के नमूने का परीक्षण किया जावेगा । प्रत्येक विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई में विनिर्मित विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि स्पिरिट के सम्मिश्रण के समय उसको रंगने, सुरस, सुगंधित एवं सुरभित करने के कारकों का रासायनिक परीक्षण कराया जाये तथा विनिर्मित विदेशी मदिरा का बोतल भराई के पूर्व बोतल भराई के लिए तैयार तथा बोतलों में भरी जा चुकी विदेशी मदिरा के बेतरतीब (रेण्डम) नमूने लेकर इनका रासायनिक

—=:2:=—

-परीक्षण प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार कराया जाये । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश में स्थित समस्त विनिर्माण इकाईयों अथवा बोतलभरण इकाईयों में विनिर्मित विदेशी मदिरा के प्रत्येक बैच के नमूने का संबंधित इकाईयों में स्थापित प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण कराने के अलावा इनके प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार विदेशी मदिरा के बेतरतीब ढंग से (रेण्डम) नमूने लेकर रासायनिक परीक्षण हेतु विभागीय अथवा अन्य किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला को भेजेंगे ।

3- विदेशी मदिरा की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये :-

(i)- विदेशी मदिरा के विनिर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली स्पिरिट का रासायनिक परीक्षण लायसेंसी अपनी निजी प्रयोगशाला में करेगा । IS:323: 1959 Specification for Rectified Spirit के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार होने पर ही स्पिरिट का उपयोग Potable Liquor के विनिर्माण में किया जाये ।

(ii)- विदेशी मदिरा के विनिर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाले सभी रंगने, सुरस, सुगंधित एवं सुरक्षित करने वाले पदार्थो का रासायनिक परीक्षण कराया जाये । इन पदार्थो का रासायनिक परीक्षण खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, भोपाल की भोपाल में स्थापित प्रयोगशाला में कराया जाये । रासायनिक परीक्षण के लिए नमूना नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन जिलों में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों, जिन्हें स्वच्छता निरीक्षक भी कहा जाता है, के द्वारा लिये जायेंगे। रासायनिक परीक्षण में इन नमूनों का Prevention of Food Adulteration Act 1954 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पाये जाने पर ही इनका उपयोग पेय मदिरा (Potable Liquor) के निर्माण में किया जाये । इन पदार्थो का उपयोग 12 माह के अंदर न होने पर पुनः इनका रासायनिक परीक्षण कराया जाये । यदि उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार के colouring & flavouring, essencing aromatic agents etc पदार्थो के निर्माता या प्रदायकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया

-जाता है कि ये पदार्थ, जो कि लायसेंसी को प्रदाय किये गये हैं, Prevention of Food Adulteration Act, 1954 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित मानक अनुसार हैं, तो इनके रासायनिक परीक्षण की आवश्यकता नही होगी ।

(iii) — बोतल भराई के पूर्व, बोतल भराई के लिए तैयार विदेशी मदिरा की प्रत्येक खेप (बैच) के नमूने का रासायनिक परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की निजी प्रयोगशाला में किया जाये । विदेशी मदिरा हेतु निम्न specifications भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित है :-

i) IS:4449:1980	Specification for	Whisky
ii) IS:4450:-1978	-do-	Brandy
iii) IS:4100:-1967	-do-	Gin
iv) IS:3811:-1976	-do-	Rum

जब नमूने को विदेशी मदिरा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा व्हिस्की ब्रांडी, जिन तथा रम के लिए उपरोक्त specifications में निर्धारित मानक के अनुरूप उपयुक्त पाई जाये तभी बैच जारी करने की अनुमति दी जाये । विदेशी मदिरा के नमूनो का परीक्षण व्हिस्की, ब्रांडी, जिन एवं रम के लिए उपरोक्त विशिष्टियों (specification) में दर्शाई गई उचित विधि का पालन करते हुये किया जायेगा, । इस हेतु निर्माणी के केमिस्ट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को प्रभारी अधिकारी अपने पास सुरक्षित रूप से रखें । इस प्रमाण पत्र में तेजी का उल्लेख भी केमिस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये ।

(iv) बोतल भराई के पूर्व, बोतल भराई के लिए तैयार तथा बोतलों में भरी जा चुकी विदेशी मदिरा के नमूने प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार वेतरतीब अर्थात random तरीके से लेकर इनका रासायनिक परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या विभागीय प्रयोगशाला में कराया जाये । रासायनिक परीक्षण के लिये नमूने निकालते समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये:-

(एक) :- विदेशी मदिरा के नमूने भारसाधक अधिकारी द्वारा स्वयं निकाले जोये।

(दो) विदेशी मदिरा के तीन नमूने सील किये जायें, एक नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु विभागीय प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला को भेजा जाये, दूसरा नमूना भारसाधक अधिकारी - - - - -

ताले में बंद कर अपने कार्यालय में तीसरा नमूना लायसेंसी -द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सावधानीपूर्वक रखा जाये, तथा रसीद प्राप्त की जाये। को दिया जावे, और उसकी प्राप्ति की

(तीन) रसायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले प्रत्येक नमूने पर एक लेबल चिपकाया जाये, जिस पर निम्न विवरण लिखा जाये :—

(a) Name & type of material
(b) Ethyl Alcohol Contents
(c) Batch No, Code No, Month & Year of prepacking
(d) Name & Address of the manufacturer
(e) Net Volume in m.l.
(f) Date of sampling

(चार) :— नमूनों को आरसाधिकारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा, तथा नमूनों के लेबल पर हस्ताक्षर किए जाकर तारीख अंकित की जायेगी।

उक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक कड़ाई से पालन किया जाये।

11.7.96

आबकारी आयुक्त
मध्य प्रदेश ग्वालियर, दिनांक 12.7.96

पृ. क्रमांक/रसायनशाला/111
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय-ग्वालियर।
3. मैं0 ________________

की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

श्रीवास्तव//
17.1996